**वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-7/2017/318/52-3-16-बजट(16)/2016**

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 09 मार्च, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के आयोजन/संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक 4377/□0□0□0□□-52/□□□/□□0□□□/2016-17, दिनांक 28.02.2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0- 1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 की व्यवस्था के अनुसार अरबी फारसी बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन हेतु मानक मद सं0-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □□□ प्राविधानित धनराशि रू0 05,00,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि 0 02,00,00,000/- निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2017 □□ □□□ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के विगत वर्षो व चालू सत्र के पारिश्रमिक तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय क्षिक सत्र की परीक्षाओं के □□□□/आयोजन पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा □□□≤ पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 □□ □□□□र्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्ष -आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-□□□□ फारसी बोर्ड-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

**संख्या- 318 (1)/52-3-17-तददिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष ) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्यय□) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

---

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।